कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–ओए/डीपीसी/चयन आदेश/2018–19 दिनांक–02.08.2021 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) के आदेश क्रमांक जिशिअ/माशि/बू/सामा–2/2017/1733 दिनांक 22.06.2017 के द्वारा निम्नांकित के विरूद्ध विचाराधीन राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण एवं अपील) 1958 नियम–17 की कार्यवाही समाप्त(drop) किये जाने के फलस्वरूप एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **इतिहास** (शिड्यूल I) की वर्ष 2018–19 की रिक्ति के प्रति चयन किए जाने के फलस्वरूप इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) **इतिहास** (शिड्यूल I) के पद पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2016 के लेवल नम्बर–12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल dir.dse@rajasthan.gov.in एवं commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक–**20.09.2021** तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक: **20.09.2021** (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। जो अभ्यर्थी पूर्व में चयन वर्ष 2018–19 हेतु निर्मित पुनर्वालोकन/पुनरीक्षण सूचि के संदर्भ में रिव्यू एवं रिविजन के आधार पर प्रदत्त पदौन्नति के फलस्वरूप पूर्व से प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, इतिहास के पद पर कार्यरत हैं, उन्हे इस आदेश की पालना में पदोन्नति पर पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा एवं ऐसी स्थिति से तत्काल इस कार्यालय को सूचित करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक **21.09.2021** तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	पद, पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	1079/ 2011–12	छितरलाल मेघवाल	24.08.1966	वरिष्ठ अध्यापक, राउमावि गुढागोकुलपुरा–हिण्डोली– बूंदी	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BASOLI (222236), HINDOLI - BUNDI

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदौन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नही हुई हो। यदि अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति आने पर ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–2/**इतिहास**/डीपीसी–पदस्थापन/2018–19 दिनांक– 13-09-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
5. सम्बन्धित शिक्षा संयुक्त निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड़ कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होगें।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अद्यतन करने हेतु
8. संबधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान/कार्मिक
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/एबी–बी–III/सी 2 ओएसी अनुभाग को उक्तानुसार रिकार्ड में कार्मिक डाटा अपडेट करने हेतु

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)